Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 25-08-2006

Participants : Budholiya Shri Rajnarayan

an>

Title : Need to permit Members of Parliament to use beacon lights on vehicles for their identification.

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, देश के अनेक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अपने सदस्यों को अपनी निजी गाडियों में पहचान के तौर पर हरी एवं अन्य प्रकार की बत्तियां लगाने की अनुमति दी हुयी है तथा जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए लाल बती लगाने की अनुमति दी गयी है। माननीय सांसद जो अनेक तहसीलों व एक से अधिक जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को किसी भी प्रकार की बती, हूटर, बोर्ड, नाम पट्टिका, वाहन के आगे व पीछे एवं सायरन आदि गाड़ी में लगाने की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है जिस कारण माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यो के निरीक्षण, ग्रामीण दौरों ए वं आम सभाओं व पार्टी की मीटिंग में भाग लेने, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिला समितियों के पदाधिकारियों से मिलने एवं तहसील एवं जिला स्तर पर लगने वाले जनता दिवसों में भाग लेने तथा संसदीय क्षेत्र के भ्रमण एवं अन्य प्रकार के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। टोल टैक्सों, अन्य प्रकार के पुलों एवं सडकों पर बने बैरियरों पर पहचान के लिए माननीय सांसदों को अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है जो बेहद ही अशोभनीय है।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि माननीय सांसदों की उक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पहचान के लिए निजी वाहनों में किसी भी रंग की बत्ती, सायरन, हूटर एवं नाम पटिटका व बोर्ड इत्यादि लगाने की अनुमति प्रदान की जाये।